कार्यालय - प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष -- संरक्षण) मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन , प्रथम तल , भोपाल

क्रमॉक/ एफ--14/10--10/2007 /1361 /भोपाल : दिनांक 13/ 4 / 2007

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश ।

विषय :-- अग्नि सुरक्षा कार्यो हेतु बजट आवंटन ।

संदर्भ :-- कार्यालयीन पत्र क्रमॉक 3391 दिनांक 18--10--2006

संदर्भित पत्र के माध्यम से अग्नि सुरक्षा कार्यो के संबंध मे 4 चरणों में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण प्रसारित किया गया था । प्रथम चरण में लाइन कटाई व जलाई का कार्य किया जाना था तथा व्दितीय चरण में फायर वाचिंग केम्प्स स्थापित किये जाना थे । यह दोनों चरण वित्तीय वर्ष 2006--07 में पूर्ण किये जाना थे , जिस हेतु पर्याप्त बजट भी उपलब्ध कराया गया था ।आशा है कि इन दोनों चरणों की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई होगी ।

तृतीय चरण हेतु निर्देश थे कि " जब किसी वन क्षेत्र में आग लगने की घटना की जानकारी प्राप्त होती है तो यह संबंधित परिक्षेत्र सहायक अथवा परिक्षेत्र अधिकारी जिसको कि सूचना दी गई हो, का दायित्व होगा कि वह आवश्यक संख्या में मजदूर इकठ्ठे करके अग्नि को नियंत्रित करें । इन मजदूरों को दैनिक मजदूरी पर रखा जायगा और इस पर होने वाले व्यय हेतु वन मण्डल को अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध कराई जावेगी । प्रत्येक अग्नि घटना का पी ओ आर जारी होगा तथा भुगतान प्रमाणक पर इस पी ओ आर की प्रविष्ठि होगी जिससे ज्ञात हो सके कि अग्नि प्रकरण की सूचना किसने, किसको दी तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई व क्या व्यय आया तथा कितने वन क्षेत्र में आग लगी या नुकसानी हुई । "

तृतीय चरण के इस कार्य हेतु वनों में अग्नि लगने पर मजदूरों के माध्यम से अग्नि को बुझाने तथा नियंत्रित करने हेतु प्रत्येक वन मण्डल को संलग्न प्रपत्र अनुसार बजट आवंटन किया जा रहा है । यह आवंटन लमसम है क्योंकि किस वनमण्डल में कितने स्थलों पर आग लगेगी और कितने मजदूर रखकर उसको बुझाया जायगा , का ऑकलन करना असंभव है। इसलिये एक मुश्त आवंटन किया जा रहा है । यह धन राशि समाप्त होने पर इस कार्यालय को निम्नलिखित प्रपत्र में जानकारी भेजते हुये तत्काल अतिरिक्त धन राशि की मॉग की जायजो कि अविलंब आपको उपलब्ध करा दी जावेगी ।:--

वन मण्डल का नाम	अग्नि दुर्घटना की तारीख व समय	लगाये गये मजदूरों की संख्या	कुल व्यय	अग्नि प्रभावित वन क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

फायर वाचिगं केम्प्स में रखे जाने वाले मजदूरों की संख्या विगत वर्ष स्वीकृत की गई थी तथा इन केम्प्स हेतु दूरबीन कय करने हेतु भी धनराशि दी गई थी । निर्देश थे कि स्वीकृत मजदूरों को विगत वित्तीय वर्ष में 15 फरवरी से 28 फरवरी तक का भुगतान किया जायगा । पहली मार्च से 15 जून तक का भुगतान वित्तीय वर्ष 2007--2008 में किया जावेगा । अतः वित्तीय वर्ष 2007--2008 के लिये स्वीकृत मजदूरों की संख्या के अनुरुप 2500/– प्रति मजदूर प्रति माह की दर से आवंटन संलग्न प्रपत्र अनुसार वनमण्डलवार किया जा रहा है । तदनुसार अग्नि सुरक्षा केम्प्स में रखे गये मजदूरों को तत्काल भुगतान की व्यवस्था करें ।

कृपया सुनिश्चित करें कि प्रत्येक वन मण्डल में अग्नि की घटनाएं न्यूनतम हों और यदि अग्नि की घटनाऐं होती हैं तो फॉयर वाचर्स व्दारा उसका तत्काल संज्ञान लिया जाकर मजदूरों के माध्यम से इस अग्नि पर तत्काल नियंत्रण किया जाय । प्रत्येक अग्नि प्रकरण का विवरण पी ओ आर में दर्शाया जाय जिसकी पूर्ण जानकारी अंतिम चतुर्थ चरण में आपके व्दारा 15 जुलाई, 2007 के पूर्व इस कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करायी जाय ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश